न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2024 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये मनजीत सिंह प्रर्वतन अधिकारी भीलवाडा	बनाम	1. जगदीश पुत्र खानमल जागेटिया निवासी जी जे 6 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा 2. रामलाल रेगर पुत्र मगनीराम रेगर निवासी पांसल जिला भीलवाडा 3. सत्यनारायण धोबी पुत्र घीसूलाल धोबी निवासी आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा 4. दीपक सिन्धी पुत्र चन्दुमल सिन्धी निवासी गुर्जर मौहल्ला नाथद्वारा सराय के पास सिरकी मौहल्ला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त शहर भीलवाडा ग्राम हलेड स्थित सॉफ्ट स्टोन फैक्ट्री के पीछे बने गोदाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर कुछ लोग नकली ऑयल बना रहे थे। आरोपियों द्वारा नकली ऑयल आम लोगों को असली बताकर बेच रहे थे। मौके पर जगदीश जागेटिया ने स्वयं को उक्त गोदाम का मालिक होना बताया। मौतबिरान के समक्ष गोदाम के अन्दर तलाशी ली गयी। गोदाम में ऑयल के ड्रम खाली, भरे हुए व फिल्टर मशीन, बाल्टियां व अन्य उपकरण नजर आये। मालिक के पास उक्त कार्य हेतु लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन नही होना बताया। पूछताछ पर जगदीश जागेटिया ने नकली ऑयल व बिना शुद्वता के बनाना स्वीकार किया। गोदाम में 215 बाल्टिंया बरंग सफेद प्लास्टिक की प्रत्येक साढे सात लीटर की जिन पर सर्वो सुपर मल्टीग्रेड, इण्डियन ऑयल लिखा हुआ था। 23 ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक की काले रंग की बिना ढक्कन वाली थी। जिसमें 300 लीटर खुला नकली ऑयल भरा हुआ था। 9 खाली ड्रम रखे हुये थे। 6 ड्रम लोहे के तरल पदार्थ से भरे हुये थे। 22 ड्रम लोहे के खाली थे। अन्य उपकरण रखे हुये थे। प्लास्टिक पाईप रखी हुयी थी। एफएसएल की रिपोर्ट अनुसार नकली पेट्रोलियम पदार्थ था। इस प्रकार आरोपी द्वारा डीजल को वाहनों को बेचा जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर

13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किय जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 214,प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 19, 23 ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक के खाली, एक ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक का करीब 500 लीटर नकली आयल भरा हुआ, 9 ड्रम खाली प्लास्टिक के, 6 ड्रम लोहे के तरल पदार्थ के भरे हुये, 22 ड्रम लोहे के खाली, एक मशीन ड्रम से आयल निकालने की, 1 इलेक्ट्रिक कांटा, 16 कार्टून कागज के गत्ते के जिसमें 5-5 लीटर नकली आयल भरा हुआ व अन्य 12 आईटम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.06.2024 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि आरोपी द्वारा नकली आयल का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं, अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 214,प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 19, 23 ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक के खाली, एक ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक का करीब 500 लीटर नकली आयल भरा हुआ, 9 ड्रम खाली प्लास्टिक के, 6 ड्रम लोहे के तरल पदार्थ के भरे हुये, 22 ड्रम लोहे के खाली, एक मशीन ड्रम से आयल निकालने की, 1 इलेक्ट्रिक कांटा, 16 कार्टून कागज के गत्ते के जिसमें 5-5 लीटर नकली आयल भरा हुआ व अन्य 12 आईटम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती) पर हस्ताक्षर किये एवं नकली आयल का अवैध विक्रय किये जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा नकली आयल का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं।

उक्तानुसार विपक्षी आरोपी द्वारा अपराध किया जाना सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 214,प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 19,

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

23 ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक के खाली, एक ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक का करीब 500 लीटर नकली आयल भरा हुआ, 9 ड्रम खाली प्लास्टिक के, 6 ड्रम लोहे के तरल पदार्थ के भरे हुये, 22 ड्रम लोहे के खाली, एक मशीन ड्रम से आयल निकालने की, 1 इलेक्ट्रिक कांटा, 16 कार्टून कागज के गत्ते के जिसमें 5–5 लीटर नकली आयल भरा हुआ व अन्य 12 आईटम को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 214,प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 19, 23 ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक के खाली, एक ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक का करीब 500 लीटर नकली आयल भरा हुआ, 9 ड्रम खाली प्लास्टिक के, 6 ड्रम लोहे के तरल पदार्थ के भरे हुये, 22 ड्रम लोहे के खाली, एक मशीन ड्रम से आयल निकालने की, 1 इलेक्ट्रिक कांटा, 16 कार्टून कागज के गत्ते के जिसमें 5–5 लीटर नकली आयल भरा हुआ व अन्य 12 आईटम को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 214,प्लास्टिक की बाल्टियां नकली आयल भरा हुआ नग 19, 23 ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक के खाली, एक ड्रम सिन्टेक्स प्लास्टिक का करीब 500 लीटर नकली आयल भरा हुआ, 9 ड्रम खाली प्लास्टिक के, 6 ड्रम लोहे के तरल पदार्थ के भरे हुये, 22 ड्रम लोहे के खाली, एक मशीन ड्रम से आयल निकालने की, 1 इलेक्ट्रिक कांटा, 16 कार्टून कागज के गत्ते के जिसमें 5–5 लीटर नकली आयल भरा हुआ व अन्य 12 आईटम का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

13.11.25
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा